

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2021-22/2023/155

दिनांक : 08/09/2023

–: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० अनमोल मीना	12.09.1995	25.12.2020	शिशु रोग	15.11.22 से 14.11.25
2	डॉ० पूजा कुमारी यादव	07.01.1997	24.12.2020	स्त्री एवं प्रसूति रोग	13.04.23 से 12.04.26
3	डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा	09.07.1995	21.12.2020	सर्जरी	01.12.22 से 30.11.25
4	डॉ० विवेकशील मीना	14.07.1995	27.03.2020	नेत्र रोग	01.12.22 से 30.11.25

राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० राजेश कुमार मीना	13.12.1990	28.08.2018	मेडिसिन	01.12.22 से 30.11.25
2	डॉ० इफ्तखारुद्दिन अन्सारी	09.10.1987	04.10.2013	ईएनटी	16.11.22 से 15.11.25

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० प्रवीण कुमार यादव	02.02.1991	16.08.2018	फॉर्मिकॉलोजी	23.12.22 से 22.12.25

जिला चिकित्सालय धौलपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा (डीएनबी) कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० ललित कुमार पाठक	15.12.1981	15.10.2015	डीएनबी (शिशु रोग)	01.12.22 से 30.11.24

उपरोक्त सूची में आरयूएचएस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर की तालिका में अंकित डॉ० प्रवीण कुमार यादव के अध्ययन अवकाश अवधि का वेतन निदेशालय में स्वीकृत 2000 चिकित्सा अधिकारी (लीव रिसर्व) के पदों से, बजट हैड 2210-01-001-01-00 से आहरण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लेवें।

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2021-22/2023/155

दिनांक : 08/09/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोनस ।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान ।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय ।
7. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय ।
8. प्रभारी हैडक्वार्टर सीट, संस्थापन अनुभाग (राजपत्रित), मुख्यालय ।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें ।
10. सम्बन्धित डिलिंग सहायक को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु ।
11. रक्षित/निजी पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर